न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील क्रमांक/वि.अ./239/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री बस्तीराम, पटवारी प0म0 अडवड, तहसील जायल।

दिनांकः— 11/11/2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री बस्तीराम मुण्डेल, तत्कालीन पटवारी, प0म0 तांतवास तहसील खींवसर, जिला नागौर हाल पटवार मण्डल, अडवड, तहसील जायल, जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर के आदेश क्रमांक प—9( )/भू0अ0/ वि.जां. /एसीबी—224/2018/3238 दिनांक 21.04.2025 जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणाम स्वरूप चार वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक प—9( )/भू0अ0/वि.जां./एसीबी—224/2018/3673 दिनांक 05.06.2024 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः—

आरोप संख्या—1

यह है कि श्री बस्तीराम, पटवारी प0म0 तांतवास, तहसील खींवसर, जिला नागौर के पद पर दिनांक 19.03.2013 से दिनांक 08.08.2018 तक पदस्थापित रहे है। आप श्री बस्तीराम, पटवारी प0म0 तांतवास, तहसील खींवसर, जिला नागौर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान परिवादी श्री भूराराम के ग्राम अखासर के खसरा नम्बर 1273 में ट्यूबवैल शिफ्टिंग करवाने तथा ट्यूबवैल को अवैध मानकर सीज नहीं करने की ऐवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 10000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण में 8000/— रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर द्वारा दिनांक 08.08.2018 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपका उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया गया, इसलिये आपके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में अपराध संख्या 224/2018 दिनांक 09.08.2018 दर्ज हुआ है।

राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 03 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा (ईमानादारी) रखेगा और कर्तव्यनिष्ठा तथा कार्यालय की गरिमा बनाये रखेगा। आप एक राजकीय कार्मिक/लोक सेवक है। आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्य की तारीफ में नहीं आता है। उक्त कृत्य कर्तव्यनिष्ठा व कार्यालय की गरिमा के विपरीत किया गया कार्य है। उक्त कार्य नैतिक अधमता (Moral Terpitude) की श्रेणी में आता है अर्थात् आपका उक्त कृत्य ईमानदारी (Honesty) व अच्छी नैतिकता (Good Moral) के विपरीत किया गया कार्य है। जिसके लिये आरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोप का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोप/आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत चार वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के दण्डादेश दिनांक 21.04.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री बस्तीराम मुण्डेल को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, नागौर से संबंधित अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2028 को सेवानिवृत हो रहा है। इस दण्ड से मानसिक एवं आर्थिक हानि हो रही है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया दण्डादेश भी नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, नागौर द्वारा दिनांक 08.08.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जो टाडा कोर्ट अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें आरोप अभी तक सिद्ध नही हुए है। आरोपों की सत्यता की जांच किये बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि नियमानुसार एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त लोक सेवक के कृत्य से यदि प्रथम दृष्ट्या आचरण नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो आरोपित लोक सेवक के विरूद्ध तीन माह की समयावधि के अंदर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये, परंतु अनुशासनिक अधिकारी द्वारा लगभग 7 वर्ष देरी के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। अतः इस आधार पर अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, नागौर के दण्डादेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

आरोपी का कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2028 को सेवानिवृत हो रहा है। इस दण्ड से मानसिक एवं आर्थिक हानि हो रही है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया दण्डादेश भी नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, नागौर द्वारा दिनांक 08.08.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जो टाडा कोर्ट अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें आरोप अभी तक सिद्ध नही हुए है। यहां पर हमारा यह मानना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, नागौर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 224/2025 के साथ जो कार्यवाही रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को प्रेषित की है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि गोपनीय सत्यापन करवाया जाने पर परिवादी श्री भूराराम, निवासी अखासर, जिला नागौर के साथ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कनि0 नं0 423 श्री मांगीलाल के समक्ष अपीलार्थी की वार्तालाप को रेकार्ड किया गया है। इस वार्तालाप में अपीलार्थी श्री बस्तीराम पटवारी द्वारा परिवादी श्री भूराराम से रूपये 10000/- अनैतिक रूप से मांगने की वार्ता रेकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। रिश्वत राशि का प्राप्त होना अथवा नहीं होना अलग विषय है। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 03 के अनुसार प्रत्येक राज्य कार्मिक पूर्ण सत्य एवं निष्ठा से कार्य करेगा तथा कार्यालय की गरिमा बनाये रखेगा, परंतु अपीलाथी श्री बस्तीराम मुण्डेल द्वारा रिश्वत राशि की मांग किये जाने एवं रिश्वत राशि मांग की वार्ता प्रमाणित हो जाने पर विभाग की छवि धूमिल हुई है। यह कृत्य राज्य कार्मिक की नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, जायल ने भी आरोप को अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 में प्रमाणित माना है। अतः जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित दण्डादेश उचित प्रतीत होता है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री बस्तीराम मुण्डेल, तत्कालीन पटवारी, प0म0 तांतवास, तहसील खींवसर, जिला नागौर हाल पटवार मण्डल, अडवड, तहसील जायल, जिला नागौर की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21.04.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर